राजस्थान संगीत नाटक अकादमी,जोधपुर
अकादमी युवा एवं बाल प्रतिभा पुरस्कार योजना

राजस्थान संगीत नाटक अकादमी द्वारा संगीत, नृत्य, नाटक एवं लोक कला के क्षेत्र में साधनारत प्रदेष के प्रतिभावान, प्रतिष्ठित एवं उपलब्धिपरक कार्य करने वाले युवा कलाकारों एवं बाल कलाकारों को प्रोत्साहित करने के ध्येय से प्रतिवर्ष युवा पुरस्कार एवं बाल पुरस्कार प्रदान करने की योजना प्रारम्भ की गई है।

नियम

1.	राजस्थान संगीत नाटक अकादमी द्वारा दिये जाने वाले युवा एवं बाल पुरस्कार राजस्थान संगीत नाटक अकादमी **युवा एवं बाल प्रतिभा पुरस्कार** के नाम से जाने जायेंगे।
2.	युवा एवं बाल प्रतिभा पुरस्कार हेतु कलाकार का चयन उनकी विधा विशेष में प्रतिष्ठा, प्रतिबद्धता एवं मान्यता के आधार पर किया जायेगा।
3.	अकादमी युवा पुरस्कार 35 वर्ष तक की आयु के ऐसे युवा कलाकारों को तथा बाल प्रतिभा पुरस्कार 15 वर्ष तक की आयु के बाल कलाकारों को प्रदान किये जायेंगे जो मूलतः राजस्थान के निवासी हो।
4.	युवा पुरस्कार के अन्तर्गत पुरस्कार राशि रूपये 25,000/–(पच्चीस हजार रूपये) एवं प्रशस्ति पत्र प्रदान किये जायेंगे तथा बाल प्रतिभा पुरस्कार के अन्तर्गत 11,000/– (ग्यारह हजार रूपये) तथा प्रशस्ति पत्र प्रदान किये जायेंगे।
5.	अकादमी द्वारा युवा पुरस्कार निम्नांकित विधाओं में प्रदान किये जायेंगे। 1. शास्त्रीय गायन 2. शास्त्रीय वाद्य वादन 3. कथक नृत्य 4. लोक संगीत 5. सुगम संगीत 6. रंगमंच (हिन्दी व राजस्थानी) क. निर्देशन ख. नाट्य लेखन ग.अभिनय घ. लोक नाट्य
6.	बाल प्रतिभा पुरस्कार किसी भी प्रदर्शनात्मक कला में विशिष्ठ उपलब्धि स्वरूप राज्य के 6 प्रतिभाओं को प्रदत्त किये जायेगें।
7.	युवा पुरस्कार एवं बाल पुरस्कार हेतु प्रस्ताव संलग्न प्रारूप (नामांकन प्रपत्र) में निम्नलिखित वर्गो से आमंत्रित किये जायेंगे :– 1. अकादमी के फेलोशिप व सम्मान प्राप्त कलाकार। 2. अकादमी के साधारण सभा, कार्यकारी मण्डल व वित्त समिति के सदस्य। 3. अकादमी की सम्बद्ध संस्थाएं। 4. राजस्थान के विभिन्न विश्वविद्यालयों के प्रर्दानात्मक कलाओं के विभागाध्यक्ष/अधिष्ठाता। 5. अकादमी के पूर्व अध्यक्ष। 6. महानिदेषक जवाहर कला केन्द्र–जयपुर, प्राचार्य–राजस्थान संगीत संस्थान–जयपुर, प्राचार्य,कथक केन्द्र–जयपुर, निदेशक पश्चिम क्षेत्र सांस्कृतिक केन्द्र–उदयपुर, राजस्थान में स्थित सभी आकाषवाणी व दूरदर्शन के केन्द्र निदेशक।

8.	जिस कलाकार को अकादमी द्वारा पूर्व में पुरस्कार दिया जा चुका है उसे पुनः पुरस्कार नहीं दिया जायेगा लेकिन अवार्ड के लिए उसके नाम पर विचार किया जा सकेगा।
9.	पुरस्कार प्रस्ताव के प्रारूप में प्रस्तावक द्वारा प्रस्तावित कलाकारों से संबंधित विधा में योगदान के बारे में संक्षिप्त टिप्पणी सहित उसका पूर्ण विवरण अकादमी को भेजना होगा।

10.	किसी भी कलाकार द्वारा पुरस्कार प्राप्त करने हेतु स्वयं निवेदित प्रस्तावों पर विचार नहीं किया जायेगा तथा अपने नाम के प्रस्ताव पर समर्थन जुटाने के प्रयास को अयोग्यता समझा जायेगा।
11.	कार्यालय द्वारा संकलित ब्यौरे में प्रस्तावक का नाम गोपनीय रखा जायेगा।
12.	अकादमी युवा पुरस्कार प्राप्त करने हेतु समारोह में आने वाले कलाकारों को अकादमी द्वारा आने–जाने का किसी भी श्रेणी का रेल/बस का वास्तविक किराया तथा बाल कलाकार को द्वितीय श्रेणी रेल अथवा बस का वास्तविक किराया,उनके लिए आवास व भोजन की व्यवस्था की सुविधाऐं प्रदान की जाएंगी। विशेष परिस्थिति में पुरस्कार प्राप्त करने स्वयं कलाकार के समारोह में उपस्थित नहीं होने की स्थिति में उनके किसी अधिकृत परिजन को उपरोक्तानुसार सुविधाएं दी जा सकेंगी।
13.	चयन हेतु प्रस्तावित नामों पर कार्यकारी मण्डल की अनुशंषा पर साधारण सभा विचार करेगी। प्रस्तावित नामों के अतिरिक्त नये प्रस्तावों पर भी विचार के लिए साधारण सभा सक्षम होगी।
14.	युवा पुरस्कार हेतु चयनित कलाकार को सूचना मिलने पर सहमति पत्र के साथ अपनी आयु 35 वर्ष तक होने तथा बाल कलाकार को अपनी आयु 15 वर्ष तक होने का प्रमाणीकरण दस्तावेज भेजना होगा।
15.	नियम 5 में वर्णित सभी विधाओं में युवा पुरस्कार प्रतिवर्ष प्रदान करना आवश्यक नहीं होगा।
16.	युवा पुरस्कार एवं बाल प्रतिभा पुरस्कार के लिए अकादमी के सदस्य,अधिकारी,कर्मचारी एवं उनके सन्तान के नामों के प्राप्त प्रस्ताव चयन हेतु सम्मिलितन नहीं किये जायेंगे।
17.	उपरोक्त नियमों में साधारण सभा परिवर्तन व परिवर्द्धन कर सकेगी तथा नियम व उप नियम बना सकेगी।
18.	पुरस्कार के सम्बन्ध में साधारण सभा का निर्णय अन्तिम होगा, जिसे किसी प्रकार की चुनौति नहीं दी जा सकेगी।